प्रेस नोट दिनाँक-05.03.2023

(1). आज दिनाँक-05.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक-05.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(4). आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री रामसिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रविकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शिवभवन उर्फ झल्लर पुत्र भोंदू निवासी हर्रा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 किलो 100 ग्राम सूखा गांजा व 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में अवैध गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट व अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 किलो 100 ग्राम सूखा गांजा

01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त शिवभवन उर्फ झल्लर का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 150/2015 धारा 379,411 भादवि0

2. मु0अ0सं0 102/2016 धारा 110 जी सीआरपीसी

3. मु0अ0सं0 131/2016 धारा 147,148,149,302/34 भादवि0

4. मु0अ0सं0 248/2016 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट

5. मु0अ0सं0 20/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट

6. मु0अ0सं0 259/2017 धारा 110 जी सीआरपीसी

7. मु0अ0सं0 26/2018 धारा 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट

8. मु0अ0सं0 227/2019 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट
9. मु0अ0सं0 129/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम
10. मु0अ0सं0 145/2016 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट
11. मु0अ0सं0 54/2019 धारा 110 जी सीआरपीसी
12. मु0अ0सं0 07/2021 धारा 307 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट
13. मु0अ0सं0 08/2021 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट
14. मु0अ0सं0 33/2023 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट
15. मु0अ0सं0 32/2013 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट

<u>बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना पहाड़ी
2. आरक्षी महेन्द्र शिक्ला
3. आरक्षी जलील अहमद

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री काशीनाथ यादव थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी शुभम त्रिपाठी द्वारा परिवाद संख्या 334,335/2022 धारा 125 सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त पिंटू पुत्र बेटा सोनकर निवासी पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अरविन्द पाण्डेय थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही आरक्षी चन्द्रप्रकाश द्वारा मु0सं0 14/2019 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त लाला पुत्र मुगलु निवासी झर्री फाटक मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री रजोल नागर तथा उनके हमराही आरक्षी श्यामू द्वारा मु0अ0सं0 176/2015 धारा 138(b) विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त बाले प्रसाद पुत्र साधु निवासी बिहारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवँ बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 08 अभियुक्तों के कब्जे से 50 लीटर कच्ची व 91 क्वार्टर देशी शराब, 02 अदद भट्टी एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद की।

(i). प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मऊ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त देवनाथ पुत्र 8पत निवासी बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट व अभियुक्त 2. मुनेश कुमार पुत्र अदालती व 3. कालीचरन पुत्र अदालती निवासीगण मवईकला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10-10 लीटर कच्ची शराब, 02 अदद भट्टी व

शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री बालकिशुन
3. मुख्य आरक्षी जुबैर अली
4. आरक्षी अनुज वर्मा

(ii). उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अशोक पुत्र अशर्फीलाल कोल निवासी सेमरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को **24 अदद** क्वार्टर देशी शराब के सात गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना रैपरा तथा उनके हमराही आरक्षी संदीप कुमार टीम द्वारा अभियुक्त रमेश पुत्र श्यामलाल निवासी कौबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को **20 अदद क्वार्टर** देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री इमरान खान थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी मो0 इरफान द्वारा अभियुक्त श्यामलाल पुत्र स्व0 रामसजीवन निवासी मिरिया पुरवा मजरा मऊ ब थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट **को 20 अदद क्वार्टर** देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी अभिषेक, आरक्षी कुलदीप द्विवेदी द्वारा अभियुक्त प्रेमबाबू पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट **को 27 अदद** क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आरक्षी रोहित द्वारा अभियुक्त क्षय कुमार वर्मा पुत्र इन्द्र कुमार निवासी चकौंध थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को **20 लीटर कच्ची** शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(7). चित्रकूट पुलिस ने दंगा नियंत्रण हेतु मॉक ड्रिल कर अभ्यास किया

आगामी हौली एवं शब ए बरात त्यौहार के दृष्टिगत आज दिनाँक-05.03.2023 को **पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला** के निर्देशन में आकस्मिक परिस्थिति व आगामी त्यौहारों में सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था व समाज में सुरक्षित/भय मुक्त वातावरण बनाने के लिये पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में **श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी** के पर्यवेक्षण में थाना पुलिस बल द्वारा बलवा/दंगा नियंत्रण ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह द्वारा दंगा नियंत्रण ड्रिल की 10 पार्टियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं मुख्य आरक्षी आर्मोरर राम महेश द्वारा एण्टी राइड गन, गैस गन एवं पम्प एक्शन गन को हैण्डलिंग करने एवं प्रयोग करने के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया। अधि0/कर्म0गण द्वारा

विधि विरूद्ध भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, अश्रु गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर स्मॉक गन (गैस गन), हैंड ग्रेनेड, सैल आदि के प्रयोग का पूर्वाभ्यास भी किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान दंगाइयों/बलवाइयों पर प्रयोग करने वाले एंटी राइट गन, टीयर स्मॉक गन, हैंड ग्रेनेड, टीयर स्मोक सेल आदि के प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों एवं इनके प्रयोग करने के तरीके के बारे में अवगत कराया गया ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में सिखलाए गए तरीकों से ऐसी परिस्थितियों का अच्छे से सामना किया जा सकें।
इसी क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा कर्वी शहर में भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर दंगा नियंत्रण हेतु मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। जिसमें कर्वी शहर के मिश्रित आबादी/हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों एवं अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र को 03 जोन व 06 सेक्टर में बांट कर समस्त महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल की डियूटियां खड़ी की गयी एवं मोबाइल पार्टियां भी बनाकर पुलिसकर्मियों को दंगाइयों से निपटने के तरीके सिखाये गये तथा रिहर्सल के दौरान भीड़/दंगाइयों को तितर-बितर करने के भी विभिन्न तरीकों का अभ्यास कराया गया। पुलिसकर्मियों द्वारा मुस्तैदी के साथ दंगा नियंत्रण के अभ्यास को किया गया।
दंगा नियन्त्रण मॉक ड्रिल में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर, क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अनुज कुमार मिश्रा, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय थाना पुलिस बल के उपस्थित रहे।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना पुलिस टीम द्वारा पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर दम्पत्ति जोड़े में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती सीमा पत्नी करूणाकर गौतम निवासी बनकट कर्वी थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट ने महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति करूणाकर गौतम पुत्र राजकुमार गौतम निवासी पंगरा थाना नरैनी जनपद बांदा उसके साथ लड़ाई झगड़ा, करते हैं एवं घर पर नही रखते है। थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती शालिनी सिंह भदौरिया द्वारा शिकायतकर्ता महिला की शिकायतों को विस्तारपूर्वक समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनो पक्षों को समझाया गया। दोनो पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति/पत्नि के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर थानाध्यक्ष महिला थाना द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी। तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर रहें।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1. थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती शालिनी सिंह भदौरिया
2. महिला आरक्षी रीता यादव
3. आरक्षी नीतू द्विवेदी